# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

## // आदेश //

क्रमांक C/5337/ जबलपुर, दिनांक 24/11/2018

श्रीमती ललिताम्मा, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 01.09.18 से 27.09.18 तक 27 दिवस बिना अवकाश स्वीकृति एवं निर्धारित अवधि एवं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण का उक्त अवधि का अवैतनिक स्वीकृत किया जाता है साथ ही स्पष्टीकरण आवेदन पत्र दिनांक 27.10.18 संतोषप्रद न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

सही/–
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/5337/ जबलपुर, दिनांक 24/11/2018

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्रीमती ललिताम्मा, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)